



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimocfoilko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/175/2023/एफ.सी./370

दिनांक: 13.10.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, वापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/150358/2021

विषय: जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w CH. 88+650 to 88+750, Khasra No.2531 of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District-Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 3226/81-2-2023-800(117)/2023, दिनांक 29.08.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. The proposed CA area falls under River Catchment area. This needs clarification from management point of view.
2. Net suitable area for CA plantation as per DSS report is 0.090 ha. which is lower than the actual required CA land area. CA area needs to be provided in double the area proposed for diversion i.e., 0.048 ha. x 2 = 0.096 ha. and accordingly CA scheme for plantation of minimum 100 trees in an area of 0.10 ha. needs to be provided at the rate of min. 1000 plants/ha instead of providing plantation for 154 trees. Thus, CA scheme and all related documents needs to be revised and uploaded on portal.
3. As per the Land Suitability Certificate, the proposed CA land area is 0.048 ha, which should be provided in 0.10 ha. as per the CA scheme for plantation of 100 trees. This needs rectification and uploaded on portal.
4. The visibility of the approved layout plan is poor. This needs to be re-uploaded on PARIVESH Portal with high DPI.
5. There is a filling station of IOCL on opposite side and a Yatri Dhaba alongside if the proposed area for diversion. Also, there are other dhabas as well in the vicinity. DFO needs to clarify if approval under FCA for approach access to all these establishments has been accorded/sought?
6. The proposal is for approach access and not for construction of site. So title of proposal needs to be amended.
7. No objection certificates from Pollution Board and Fire dept. needs to be submitted.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।
5. प्रोपराईटर महादेव पिकनिक स्पाट, हापुड़।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।



(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1015/11सी-FP/UP/Others/140578/2021 दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 16, 2023

- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करें।
- प्रतिलिपि- प्रोपराईटर, महादेव पिकनिक स्पाट, इको टयूरिज्म परपज, गढ़वांगर, हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।